न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्याः 73/2012

अपीलांट

1. मोहनलाल पुत्र श्री उम्मेदजी खारवाल
2. भंवरलाल पुत्र श्री उम्मेदजी, घांची
3. मानाराम पुत्र श्री खीमाजी घांची
4. खीमाराम पुत्र श्री हरजी खारवाल
5. पानी देवी पत्नी श्री पेमाजी, घांची तमाम निवासीगण ग्राम हेमावास तहसील पाली।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

श्री महेन्द्र नारायण ओझा विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स
राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 13.09.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत जिला कलकटर पाली द्वारा पत्रावली संख्या एफ12(3)(17)/214/2007 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2007 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश के जरिये वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 569 रकबा 3.04 हैक्टेयर भूमि शमशान हेतु आवटित की है। जबकि ग्राम हेमावास में खसरा नंबर 186 रकबा 2.08 भूमि पूर्व में ही शमशान हेतु सुरक्षित थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि के सुरक्षित होते हुए भी वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 569 रकबा 3.04 हैक्टेयर भूमि शमशान हेतु आवंटित की गई। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण एवं उनके पूर्वजो का का कब्जा 50 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है। व अपीलांटगण ने लाखो रूपये खर्च कर वादग्रस्त आराजी को काश्त लायक बनाया, जिस पर अपीलांट काश्त कर रहे है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त कदीमी होने के कारण अपीलांटगण ने एक वाद तहसीलदार के विरूद्ध व सरकार के विरूद्ध खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

घोषणा व कब्जे काश्त में दखलदांजी न करने हेतु प्रस्तुत कर चुके है, जो दावा न्यायालय में विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट को उपयोग व उपभोग का सुखाधिकार प्राप्त हो चुका है। व ईजमेन्टरी राईट्स के आधार पर कब्जाधारी को सुने बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि निरस्त योग्य है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो पर प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में अपीलांटगण पक्षकार ही नहीं थे, जिससे अपीलांटगण को हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 सी.पी.सी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी चाहिये थी, किन्तु अपीलांटगण ने हाजा न्यायालय के समक्ष धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे कानूनन अपीलांट को सुना जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त जहां तक गुणवागुण का प्रश्न है तो वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 569 रकबा 3.04 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर राज्य सरकार के खाता संख्या 01 में दर्ज है। जिसे जनहित में आवंटित किया जा सकता है। अपीलांटगण ने उक्त अपील वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होना बताते हुए प्रस्तुत की, किन्तु अपीलांटगण ने अपने कब्जे के संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये। एवं जहां तक पूर्व में ग्राम हेमावास मे खसरा नंबर 186 रकबा 2.08 भूमि शमशान हेतु सुरक्षित होने का प्रश्न है तो उक्त आराजी गांव से दो किलोमीटर होने तथा वर्षा का पानी बांध में आने से उक्त आराजी डूबने के कारण के कारण ग्रामवासियो ने उक्त आराजी के बदले वादग्रस्त आराजी शमशान हेतु आवंटित करने बाबत प्रार्थना प्रस्तुत किया, जिस पर बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय ने जनहित में राजकीय भूमि जैर अपील आदेश के जरिये शमशान हेतु आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश में अपीलांटगण पक्षकार नहीं थे, जिससे अपीलांटगण को हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय सर्वप्रथम धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति लेनी चाहिये। किन्तु अपीलांट ने धारा 96 सी. पी.सी का प्रार्थना पत्र का प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उक्त अपील उक्त प्रार्थना पत्र के अभाव में पोषणीय नहीं है। एवं जहां तक गुणवागुण पर निर्णय पारित करने का प्रश्न है तो वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज होकर राज्य सरकार के खाता संख्या 01 में दर्ज है। जिसे जनहित में बाद जांच आवंटित किया जा सकता है। अपीलांटगण ने उक्त आराजी पर अपना कब्जा होने के मौखिक कथन हाजा न्यायालय के समक्ष किये है, किन्तु उक्त कथनो के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। इसके अतिरिक्त अगर अपीलांटगण उक्त आराजी पर काबिज काश्त भी है तो वह बतौर अतिक्रमी के रूप में काबिज है। जिसे कानूनन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। वादग्रस्त आराजी राज्य सरकार के खाता संख्या 01 में सिवायचक दर्ज है। जिसका आवंटन जनहित में कानूनन किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय ने जनहित को ध्यान में रखते हुए बाद जांच वादग्रस्त आराजी के संबध में जैर अपील आदेश पारित किया है। जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी प्रार्थना पत्र के अभाव में खारिज की जाती है। एवं जिला कलकटर पाली द्वारा पत्रावली संख्या एफ12(3)(17)/214/2007 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2007 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली